CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र. क. ..../2017

I/निगरानी/नरसिंहपुर/भू रा/2017/6010

बी० एस० साहू
28 NOV 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदक/निगरानीकर्ता	गिरधारी लाल काछी, आत्मज रामलाल काछी, निवासी– लौकीपार, तहसील व जिला नरसिंहपुर, म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता	1. बालाराम काछी, बल्द दौलत काछी, निवासी ग्राम लोकीपार तहसील व जिला नरसिंहपुर
	2.1 शंकरलाल काछी उम्र 42 वर्ष, पिता स्व. श्री कुंजीलाल काछी
	2.2 अशोक कुमार, उम्र 28 वर्ष, पिता स्व कुंजीलाल काछी, दोनों निवासी– ग्प्रम लौकीपार , तहसील व जिला नरसिंहपुर
	2.3 लक्ष्मी बाई उम्र 30 वर्ष, पत्नि सुखराम पिता स्व. कुंजीलाल निवासी–ग्राम सांवरानी, पोस्ट बचई, तहसील व जिला नरसिंहपुर, म.प्र.

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT JABALPUR

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2017/6010 **जिला** – नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है। प्रकरण में विद्वान अपर आयुक्त ने अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह पाया गया है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	